OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD (R&B) CONST. DIVN. NO. II JAMMU

CORRIGENDUM & EXTENSION

Name of work:- Repair/renovation of Conference Hall of Govt. Polytechnic for Women, Jammu.

Reference:- E-NIT No. 147 of 2018-19/Div-2 Dated 03-01-2019.

The following changes to the dates of above noted works are hereby made with immediate effect:

Please read	Instead of
Item No. 07 of BOQ	Item No. 07 of BOQ
Wooden planking, tongued and grooved in flooring including fixing with iron screws complete (18mm thick) Second Class Teak Wood.	Wooden planking, tongued and grooved in flooring including fixing with iron screws complete (18mm thick)
EXTENSION	
Bid submission end date 14-01-2019 upto (1800hours)	Bid submission end date 11-01-2019 (1800hours)
Bid opening date 15-01-2019 (1400hrs)	Bid opening date 12-01-2019 (1400hrs)

All other terms and conditions shall remains same

No:-16255-64
Dated: 11.01.2019
DIP/J-4642-P/18

Sd/- Executive Engineer
PWD (R&B) Const. Divn. No. II
Jammu

KRBL Limited

Regd. Office: 5190, Lahori Gate, Delhi - 110006
CIN: L01111DL1993PLC052845,
Email: investor@krblindia.com, **Website:** www.krblrice.com
Tel.: +91-11-23968328, **Fax:** +91-11-23968327

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulations 29 and 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, January 24, 2019 at C-32, 6th Floor, Sector-62, Noida-201301, Uttar Pradesh to inter alia consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of KRBL Limited for the Third Quarter (Q3) and Nine Months ended December 31, 2018.

Further the said notice is also available on the Company's website www.krblrice.com and also on the website of Stock Exchanges viz. BSE Limited- www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com.

For **KRBL Limited**
Sd/-
Raman Sapra
Company Secretary

Place: Delhi
Date : January 12, 2019

	correspondence with the interim resolution professional	Building, Laxmi Nagar District Centre, Near Maharaja Benquet, Vikas Marg, Delhi-110092 e-mail: mail.insolvencyteam@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	24th January, 2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Allottees under real estate project
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1 – Ms. Preeti Jaiswal 2 – Mr. Vineet Gupta 3 – Mr. Sunil Arora)
14.	(a)Relevant Forms and (b)Details of authorized representatives are available at:	a) https://ibbi.gov.in/downloadform.html b) Details: 1) Ms. Preeti Jaiswal Email: capreetigoyal@gmail.com Address: A 3/312, Milan Vihar Apartment, IP Extension, Delhi 110092 IBBI/IPA-001/IP-P00523/2017-2018/10948 2) Mr. Vineet Gupta Email: vineetsinghalco@hotmail.com 408, Laxmideep Building, Laxmi Nagar, New Delhi-110092 IBBI/IPA-001/IP P00810/2017-2018/11377 3) Mr. Sunil Arora ail: sunilarora1994@gmail.com G-19, 3rd Floor, Tiwari Complex, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi 110092 IBBI/IPA-001/IP P00259/2017-2018/10488

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Samiah International Builders Ltd on 2nd January, 2019 insolvency commencement date (order received on 10th January 2019). The creditors of Samiah International Builders Ltd, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 24th January, 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class in Form CA.

The submission of proof of claims should made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The proof of claims is to be submitted by way of the following specified forms along with documentary proof in support of their claims.

Form B – for claims by Operational Creditors (except Workmen and employees); Form C – For claims by Financial Creditors, Form CA - for claims by financial creditors in class as aforesaid, Form D – for claims by workmen and employees, Form E – for claims by Authorized Representative of Workmen and Employees, Form F - for claims by creditors other than financial creditors and operational creditors.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Manish Kumar Gupta
Interim Resolution Professional
Date: 12.01.2019
Place: New Delhi

Corporation Bank

POSSESSION NOTICE
(for Immovable Property) [Rule - 8(1)]

Zonal Office : R.P.G. Towers 495/1, Mangal Pandey Nagar, Meerut - 250001.

The Authorised Officer of the Corporation Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in excercise of Powers conferred under section 13 (02) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on date mentioned against account and stated here under calling upon the Borrowers / Guarantors / Mortgagor to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest as contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of the said notice. The Borrowers / Guarantors / Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers / Guarantors / Mortgagor and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 (1) of the said rules on date mentioned hereunder. The Borrowers / Guarantor / Mortgagor in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to the charge of the Corporation Bank, for the amount and interest thereon. Details of the mortgaged Property of which the possession had been taken is as follows :-

Branch Name	Name of the Borrowers and Guarantors	Details of the Property	Date of Possession Notice	Date of Demand Notice	Amt. due to the Bank as per Demand Notice
Corporation Bank, Main Branch Meerut, Begum Bridge, Meerut 250001 (U.P.)	(A.) M/s Reckon Services, Prop. Mrs. Reena Chaudhary w/o Mr. Ashok Kumar, Opp. NAS College, 77/2, Garg Complex, Chippi Tank, Meerut (B.) Mrs. Reena Chaudhary W/o Ashok Kumar, C-305, Radha Garden, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut (U.P.) Guarantor :- Mr. Ashok Kumar & Mrs. Reena Chaudhary, C-305, Radha Garden, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut	A residential House No. C-305 measuring 167.22 sq. meters, equivalent to 200 sq. meters pertaining to Khasra No. 524 situated at Radha Garden Colony, Revenue Village Kaseru Buxar, Meerut (U.P.), which is bounded as below as per title deed dated 02.06.2006 :- East : 30 feet thereafter plot no. 300 West : 30 feet thereafter 40 feet wide Road North : 60 feet thereafter plot no. 306 South : 60 feet thereafter property no. 304 (owner : Mrs. Reena W/o Ashok Saxena and Mr. Ashok Saxena S/o Umesh Chand Saxena)	09.01.2019	22.10.2018	Rs.8,87,043.00 + interest & other expenses

Date - 11.01.2019 **Place - Meerut** **Authorised Officer**

मैं इंकलाब पसंद, हक पर डटे रहने वालों में से हूं : लालू

पटना, 12 जनवरी (भाषा)।

बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा कि खराब स्वास्थ्य और कैद में होने के बावजूद भी वे इंकलाब पंसद हक पे डटे रहने वालों में से हैं।

लालू ने ट्वीट कर कहा कि 'इंकलाब पसंदों की इक कबील से हूं, जो हक पे डट गया उस लश्कर ए कलील से हूं'। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे लालू ने आगे कहा कि 'मैं यूं ही दस्त ओ गरीबां नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं'।

लालू के इस ट्वीट पर कुछ इसी अंदाज में पलटवार करते हुए सत्ताधारी जद (एकी) के प्रदेश प्रवक्ता संजय कुमार ने कहा कि लालू यादव जी, आपके लिए ही अर्ज किया है। लालू जी, आप यही सोचते हैं और यही कहते भी हैं कि 'मैं भ्रष्टाचार पसंद इंसान में हूं, जो दूसरों का हक मार ले उस तहरीर में हूं'। संजय ने लालू के बारे में आगे कहा कि 'जमाने भर के गरीबों को ठगा है मैंने, फिर भी राजनीति करता, झूठी दलील से हूं'।

पेड़ पर लटकी मिली महिला की लाश, पुलिस को प्रतिष्ठा के नाम पर हत्या की आशंका

ठाणे (महाराष्ट्र), 12 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र में कल्याण पुलिस ने 31 दिसंबर को हुई एक महिला की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह हत्या प्रतिष्ठा के नाम पर की गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि उन्होंने चार व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इनमें मृतका 23 वर्षीय मनिता यादव के पिता और भाई का नाम शामिल है। महिला का शव ठाणे जिले के कल्याण में एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। हालांकि इस संबंध में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

आरोपियों की पहचान मनिता के पिता लोटू यादव, उसके भाई तीर्थराज यादव और रिश्तेदार रमाकांत यादव तथा मनोज यादव के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मनिता के ससुराल वाले जब पिछले महीने उसे मायके छोड़ आए, तब से उसके परिवार के सदस्य बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। ससुराल वालों ने मनिता पर किसी गैर मर्द से विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया था। मनिता का पति आजमगढ़ जिले के एक गांव में रहता है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीर्थराज, रमाकांत और मनोज मनिता को उसके दूसरे भाई के पास पहुंचाने के इरादे से 30 दिसंबर को आजमगढ़ से मुंबई रवाना हुए थे। मुंबई के विक्रोली उपनगर में मनिता का एक और भाई रहता है। उन्होंने बताया, 'वे कल्याण स्टेशन पर उतरे और मनिता को एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसका गला घोंट दिया और शव को एक पेड़ पर फंदे से लटका दिया ताकि ऐसा प्रतीत हो उसने आत्महत्या की है।' उन्होंने बताया कि मनिता की हत्या 31 दिसंबर को की गई।

कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में आरोपी व्यक्तियों की तस्वीरें कैद हो गईं, जो मनिता के साथ स्टेशन पर उतरे थे। अधिकारी ने बताया कि हत्या की गुत्थी सुलझाने में पहला बड़ा सबूत वह सिम कार्ड था, जो उन्हें मृतका के स्वेटर के पॉकेट में मिला।

KRBL Limited

पंजीकृत कार्यालय: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली – 110006
CIN: L01111DL1993PLC052845,
ईमेल: investor@krblindia.com, वेबसाइट: www.krblrice.com
फोन: +91-11-23968328, फैक्स: +91-11-23968327

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली"), के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 एवं 33 के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ, दिसम्बर 31, 2018 को समाप्त तीसरी तिमाही (Q3) और नौमाही के लिए केआरबीएल लिमिटेड के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, स्वीकृत और अभिलेख लेने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, जनवरी 24, 2019 को सी–32, छठा माला, सेक्टर–62, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कथित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड– www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड– www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते केआरबीएल लिमिटेड
हस्ता/–
रमन सप्रा
कंपनी सचिव

स्थान: दिल्ली
दिनांक: जनवरी 12, 2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक
असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा
रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली – 110008
फोन नंबर : 011–25758124, ई–मेल आईडी : iob1997@iob.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) के परंतुक के तहत]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि **इंडियन ओवरसीज बैंक** के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक कब्जा** इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **मैसर्स फैक्टर इन्फोटेक प्रा. लि. तथा मैसर्स जोश इन्फ्राटेक प्रा. लि., श्रीमती पल्लवी गुप्ता, श्री पंकज कुमार चौधरी एवं श्री नितिन कुमार** की तरफ इंडियन ओवरसीज बैंक की बकाया राशि रू. 7,99,34,094/– (30–11–2015 तक आगे ब्याज एवं लागतों सहित) की वसूली के लिए दिनांक **02–02–2019** को **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। **सुरक्षित मूल्य रू. 63,02,000/–** तथा **धरोहर राशि जमा रू. 6,31,000/–** होगी। (सुरक्षित मूल्य में आईटी ऐक्ट की धारा 194(आईए) के तहत टैक्स शामिल है)

अचल सम्पत्ति का विवरण	
ग्राम राजपुरा छावनी, कालोनी ओल्ड गुप्ता कालोनी के नाम से मशहूर, दिल्ली – 110009 के क्षेत्र में स्थित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. डी–43, फ्रंट पोर्शन ग्राउण्ड फ्लोर, छत का अधिकार नहीं, परिमाप 900 वर्ग फीट, जो श्रीमती पल्लवी गुप्ता पत्नी श्री दीपक गुप्ता द्वारा स्वाधिकृत है।	
ऋणभार, यदि कोई,	बैंक को ज्ञात नहीं

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट नामतः **www.iob.in** में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः देखें
[https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction]

यह सूचना उक्त ऋण के कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत उपरिवर्णित तिथि को ई–नीलामी के आयोजन के बारे में नोटिस भी माना जाए।

तिथि : 11–01–2019,
स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

	सुसंगत विशिष्टया	
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	विआनएक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	27.07.1995

फॉर्म–ए
सार्वजनिक सूचना
(इंसॉलवेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए इंसॉलवेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 6 के अधीन)
टीडीआइ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
के ऋणियों के ध्यान हेतु